भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *323
दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को उत्तर देने के लिए

आधार कार्ड को राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना

*323. **श्रीमती जया बच्चन:**
क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधार कार्ड योजना को समाप्त कर दिया है अथवा उस पर रोक लगा दी है अथवा उसमें संशोधन किया है; यदि हां, दो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की आधार कार्ड को राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के संबंध में अभी तक क्रमशः इसके लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) -- योजना मंत्रालय
तथा रक्षा राज्य मंत्री
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आधार कार्ड को राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *323 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) की स्थापना योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में दिनांक 28 जनवरी,2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.-। द्वारा की गई थी और इसेयूआईडी संख्या सृजित व निर्धारित करने, यूआईडी को सहभागी डेटाबेस के साथ अनवरत आधार पर अंतर्संबद्ध रखने के लिए तंत्रों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने, अद्यतनीकरण तंत्र और यूआईडी डेटाबेस के नियमित आधार पर रखरखाव संबंधी नीतियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तैयार करने, कार्यान्वयन भागीदारों और प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ समन्वय करने/सम्पर्क रखने तथा संघर्ष समाधान तंत्र को परिभाषित करने, विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए यूआईडी के उपयोग और अनुप्रयोज्यता को परिभाषित करने तथा यूआईडी जीवनचक्र के सभी चरणों के प्रचालन और प्रबंधन का अधिदेश दिया गया था। परियोजना के प्रारम्भ से ही, आधार को, किसी प्रकार का अधिकार अथवा राष्ट्रीयता या नागरिकता की पात्रता प्रदान किए बिना, पहचान के प्रमाण के रूप में कार्यान्वित किया गया था। तदनुसार, यूआईडीएआई को देश के समस्त निवासियों के लिए आधार संख्याएं जारी करने का अधिदेश दिया गया है।

आधार नामांकन के प्रयोजन से,सरकार ने यूआईडीएआई तथा भारत के महापंजीयक(आरजीआई) के बीच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन/पुनरावंटन संबंधी कई फैसले लिए हैं। सबसे हाल में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 सितम्बर,2014 को आयोजित अपनी बैठक में,यूआईडीएआई तथा आरजीआई के बीच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुनरावंटन को मंज़ूरी दी। फिलहाल, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यूआईडीएआई को शेष 12 को आरजीआई को आवंटित किया गया है।

सरकार ने आधार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मार्च,2017 तक 13663.22 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें से 30 नवम्बर,2014 तक 5311.6 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। वर्षवार ब्योरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	आवंटित बजट (संशोधित अनुमान)	वास्तविक व्यय
2009-10	26.38	26.21
2010-11	273.80	268.41
2011-12	1200.00	1187.50
2012-13	1350.00	1338.72
2013-14	1550.00	1544.44
2014-15	1417.00	946.32 (नवम्बर,2014 तक)
कुल	**5817.18**	**5311.60**

उपलब्धियों के संबंध में उल्लेखनीय है कि 14 दिसम्बर,2014 तक देश में 72.24 करोड़ आधार सृजित किए गए हैं जिनमें से 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार सृजन का काम 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है तथा 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75-90 प्रतिशत के बीच आधार सृजन कार्य हो चुका है। आधार प्लेटफार्म प्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए पूरी तरह तैयार है तथा प्रारम्भ से अब तक 30 करोड़ से अधिक प्रमाणन हो चुका है तथा 313 लाख से ज्यादा ई-केवाईसी लेन-देन किए जा चुके हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कुल 166 प्रमाणन एजेंसियां प्रचालित हैं जो प्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओँ में तेज़ी लाने के लिए कार्य कर रही हैं। फिलहाल,गैर-अनिवार्य आधार पर कार्यान्वयन हेतु कई सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों में पहले ही से आधार का उपयोग किया जा रहा है।

*****